न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

रेफरेन्स संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/02/2015	2016/00098	05.11.2015	05.05.2026

1.तहसीलदार बडौदामेव (अलवर), राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. अकबर वाजिब खान, मुश्ताक, शौकत अली पिता घसीटा कौम भिस्ती सा. रायसीस तहसील अलवर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1.राजकीय अभिभाषक — वकील प्रार्थी

—:: निर्णय ::—

यह रैफरेन्स प्रकरण प्रार्थी, तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ (अलवर) द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ग्राम शीतल, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर स्थित भूमि, जो कि मूल रूप से सम्वत 2011 में खाता संख्या 22 में खसरा नंबर 149 रकबा 3.07 बीघा जिसमें 2.16 बीघा गैर.मु.नदी व 0.11 बिस्वा बंजड़ कदीम दर्ज रिकॉर्ड थी, के राजस्व रिकॉर्ड में हुए गलत अंकन को दुरूस्त करने एवं उसे पुनः राज्य सरकार के नाम सिवाय चक दर्ज करने का निवेदन किया गया है। रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

प्रार्थी तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ (अलवर)की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 57 वाकै ग्राम शीतल तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर में स्थित है। जिसके हाल खातेदार/गैरखातेदार है। उपरोक्त वर्णित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2004 में गैर मु नदी/नाले/नहरे किस्म दर्ज है। जो किसी व्यक्ति की गैरखातेदारी/खातेदारी में अंकन नही की जा सकती है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी भूमि यदि किसी व्यक्ति की खातेदारी/गैरखातेदारी में दर्ज हो गई है तो उक्त किस्म की भूमि को वापिस राजकीय भूमि घोषित किये जाने के आदेश पारित किये है। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सन् 1947 से पूर्व, व वन्दोवस्त सम्वत 2012, 2020 तथा बाद के बन्दोवस्त सम्वत 2028 की प्रमाणित प्रति मय मिलान क्षेत्रफल संलग्न की गई है।

राजकीय अभिभाषक ने अतिरिक्त कथन करते हुए बहस के दौरान तर्क/कथन दिया कि पत्रावली में संलग्न पटवारी/तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ (अलवर) की रिपोर्ट दिनांक 11.08.2015 के अनुसार ग्राम शीतल के गत खसरा नंबर 149 रकबा 3.01 बीघा एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 3.01 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है। पूर्व जमाबंदी सम्वत 2011 में खाता संख्या 22 में खसरा नंबर 149 रकबा 3.07 बीघा जिसमें 2.16 बीघा गैर.मु.नदी व 0.11 बिस्वा बंजड़ कदीम दर्ज रिकॉर्ड है। हाल जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 233 में खसरा नंबर 57 रकबा 0.77 हैक्टेयर अकबर वाजिब खान, मुश्ताक, शौकत अली पिता घसीटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

कौम भिस्ती सा. रायसीस, अलवर की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नंबर 56 सिवायचक गै.मु. नदी दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तकरण संख्या 52 दिनांक 27.12.1977 को उक्त खसरा नंबर 57 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा सिवायचक लगानी से गैर खातेदारी में दर्ज हुई है।

मौके पर उक्त खसरा नंबर 57 रकबा 0.77 हैक्टेयर खाली पड़त पड़ा हुआ है जिसमें काश्त नहीं की जाती है। उक्त खसरे पर खातेदारों द्वारा जेसीवी चलाकर समतल किया जा रहा था, जिसे मौके पर बन्द करा दिया गया था। उक्त खसरा नंबर 57 मौके पर नदी के क्षेत्र के अन्दर आता है जिसमें नदी में पानी आने पर उक्त खसरा नंबर में होकर पानी का बहाव निकलता है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेंस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मजूर किया जाकर उपरोक्त भूमि के काश्तकार कॉलम में उपरोक्त अप्रार्थीगण का नाम कलमजन कर राजकीय भूमि किस्म गैर मु. नदी, नाले, नहर दर्ज की जावे।

हमने प्रार्थी तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ (अलवर) की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस विस्तारपूर्वक सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न हाल जमाबंदी संवत 2069–2070 के अनुसार अप्रार्थीगण सल्लू, सुमेर खां, कांटूला पुत्रान जुवान खां (प्रत्येक का हिस्सा 1/16) तथा धनेश कुमार मंगला पुत्र गोपालदास मंगला कौम महाजन सा. 1318–28 फरीदाबाद (हरियाणा) हिस्सा 13/16 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2011 में विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 149 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, जिसमें से 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि की किस्म गैर.मु.नदी व रकबा 0.11 बिस्वा की किस्म बंजड़ कदीम के रूप में दर्ज रिकॉर्ड थी उक्त भूमि के संवत 2022 में बने नवीन खसरा नंबर 57 तथा भू–प्रबंध विभाग की जमाबंदी सवंत 2028 के अनुसार उक्त खसरा नंबर की किस्म सिवायचक लगानी से डहरी दोयम के रूप में दर्ज कर दी गयी। इसके उपरान्त जमाबंदी संवत 2036 से 2041 व नामा. सं. 52 के अनुसार उक्त भूमि खसरा नंबर 57 कालू पुत्र मल्ला हि0 1/4, शमशेर उर्फ दीन मोहम्मद पुत्र मलूका हि0 1/4, भूरे खां पुत्र जुवान खां हि0 1/4, खड्डी पुत्र पल्टू हि0 1/4 कौम मेव गैर खातेदारान किस्म डहरी दोयम दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत 2045 व नामा. सं. 203 से अप्रार्थीगण के नाम उक्त आराजी गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई है। मुताबिक रिकॉर्ड जमाबंदी/नामान्तकरण खातेदारी का अंकन होने के पश्चात उक्त विवादित खसरा नंबर का बेचान व रहन निरन्तर चला आ रहा है। पत्रावली में संलग्न संलग्न पटवारी/उप तहसीलदार बडौदामेव की रिपोर्ट दिनांक 11.08.2015 के अनुसार ग्राम शीतल के गत खसरा नंबर 149 रकबा 3.01 बीघा एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 3.01 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है। पूर्व जमाबंदी सम्वत 2011 में खाता संख्या 22 में खसरा नंबर 149 रकबा 3.07 बीघा जिसमें 2.16 बीघा गैर.मु.नदी व 0.11 बिस्वा बंजड़ कदीम दर्ज रिकॉर्ड है। हाल जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 233 में खसरा नंबर 57 रकबा 0.77 हैक्टेयर अकबर वाजिब खान, मुश्ताक, शौकत अली पिता घसीटा कौम भिस्ती सा. रायसीस, अलवर की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नंबर 56 सिवायचक गै.मु. नदी दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तकरण संख्या 52 दिनांक 27.12.1977 को उक्त खसरा नंबर 57 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा सिवायचक लगानी से गैर खातेदारी में दर्ज हुई है तथा मौके पर उक्त खसरा खाली पड़त पड़ा हुआ है जिसमें काश्त नहीं की जाती है। उक्त खसरे पर खातेदारों द्वारा जेसीबी चलाकर समतल किया जा रहा था, जिसे मौके पर बन्द करा दिया गया था। उक्त खसरा नंबर 57 मौके पर नदी के क्षेत्र के अन्दर आता है जिसमें नदी में पानी आने पर उक्त खसरा नंबर में होकर पानी का बहाव निकलता है। पटवारी/तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ (अलवर) की रिपोर्ट दिनांक 11.08.2015 यह स्पष्ट करती है कि उक्त विवादित आराजी मौके पर भी नदी/नाला अथवा बहाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि है, जिसे किसी भी व्यक्ति विशेष को आवंटन एवं खातेदारी प्रदान

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

करना विधि विरूद्ध है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2011 तथा सम्वत 2028 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का मूल स्वरूप 'गैर मुमकिन नदी' दर्ज रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 स्पष्ट रूप से यह प्रावधानित करती है कि नदी, नाले, तालाब या जल भराव/बहाव क्षेत्र की भूमि पर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं हो सकते हैं। ऐसी भूमि का किया गया कोई भी आवंटन या उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य है।

नदी/नाले की भूमि का आवंटन करने का अधिकार किसी भी आवंटन सलाहकार समिति या राजस्व अधिकारी को नहीं है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के पक्ष में नदी/नाले की भूमि पर खातेदारी दर्ज करना पूर्णतया अवैध, त्रुटिपूर्ण तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के विपरीत है। इसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी, तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ (अलवर) द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर, तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ (अलवर) द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम शीतल, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर की आराजी साबिक खसरा नंबर 149 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी जिसके हाल खसरा नंबर 57 रकबा 0.77 हैक्टेयर भूमि, जो कि मूल रूप से 'गैर मुमकिन नदी' है, के सम्बन्ध में उक्त विवादित सम्पूर्ण आराजी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड से अप्रार्थीगण के नाम से कलमजन कर, इसे पूर्व की भाँति पुनः राज्य सरकार के नाम 'सिवाय चक–गैर मुमकिन नदी' के रूप में दर्ज किए जाने की अभिमत/अभिशंषा सहित यह पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर (राजस्थान) को अंतिम आदेश एवं पुष्टिकरण हेतु सादर प्रेषित की जावे।

निर्णय दिनांक 05.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर, (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर